



मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय : जबलपुर
(परीक्षा-सेल)

// अधिसूचना //

क्रमांक- 647 परीक्षा / 2018

जबलपुर, दिनांक 22 / 12 / 2018

मध्यप्रदेश सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2018 जिसकी मुख्य परीक्षा दिनांक 24 एवं 25 / 11 / 2018 को आयोजित की गई थी और परीक्षा का परिणाम दिनांक 21 / 12 / 2018 को घोषित किया गया है। साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर अपलोड की गई है। साक्षात्कार हेतु सफल पाये गये अभ्यर्थी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर दिये गये व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अनुप्रमाणन फार्म के प्रोफार्मा को डाउनलोड कर सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण कर आवश्यक रूप से दिनांक 31 / 12 / 2018 तक स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रजिस्ट्रार (परीक्षा), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर पिन कोड-482001 के कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करें और उसके साथ नीचे दिये गये व्यक्तिगत विवरण-पत्रक, अनुप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों की निर्देशानुसार स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के सेट भी जमा करें।


डाक विभाग की त्रुटि से या अन्य किसी कारणवश अभ्यर्थी का व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अनुप्रमाणन फार्म दिनांक 31 / 12 / 2018 की शाम 05:00 बजे तक रजिस्ट्रार (परीक्षा), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के कार्यालय में प्राप्त नहीं होने की दशा में अथवा निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त होने की दशा में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, उत्तरदायी नहीं होगा और अभ्यर्थी की साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

- (अ) व्यक्तिगत विवरण पत्रक – एक मूलप्रति एवं दो स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रति।
- (ब) अनुप्रमाणन फार्म – एक मूलप्रति एवं दो स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रति।
- (स) यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अभियोजन लंबित था अथवा है तो निर्णय अथवा अंतिम आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि व दो स्वप्रमाणित फोटो प्रति व्यक्तिगत विवरण पत्रक के साथ संलग्न करें।

साक्षात्कार हेतु योग्य आवेदक, साक्षात्कार दिवस पर समस्त मूल दस्तावेज एवं मूल फोटो पहचान पत्र तथा निम्नलिखित स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के दो सेट प्रस्तुत करेंगे।

- (1) हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा की अंक सूची।
- (2) स्नातक, स्नातकोत्तर, विधि एवं अन्य शैक्षणिक योग्यताओं की प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर की अंक सूची एवं उपाधियाँ (यदि प्राप्त हो चुकी हो, तो)।
- (3) फोटो पहचान प्रमाण पत्र, जैसे :- मतदाता परिचय-पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, बैंक पासबुक, शासकीय कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र।
- (4) शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)।
- (5) ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।

साक्षात्कार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय परिसर, जबलपुर में आयोजित किया जावेगा। साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र साक्षात्कार प्रारंभ होने की तिथि से लगभग तीन दिन पूर्व www.mponline.gov.in से डाउनलोड कर प्रिंट ले सकेंगे तथा प्रवेश-पत्र पर अंकित तिथि एवं समय पर आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थिता निरस्त हो जावेगी।


(जोगिन्दर सिंह)
रजिस्ट्रार (परीक्षा)



मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय : जबलपुर
(परीक्षा सेल)
आवेदक का व्यक्तिगत विवरण-पत्रक

नोट :- (इस प्रपत्र को आवेदक स्वयं ही कृपया बॉल पाइन्ट पेन से भरकर उसकी 2 फोटोप्रतियां कराने के पश्चात प्रत्येक प्रति पर पृथक-पृथक हस्ताक्षर करें)

ऑनलाइन आवेदन क्रमांक	CJMP	1	8	1				
रोल नम्बर								

1. विज्ञापन क्रमांक
2. आवेदित पद का नाम
3. विभाग का नाम
4. आवेदक का नाम
- हिन्दी में
- अंग्रेजी में
5. पिता/पति का नाम
6. जन्म दिनांक (हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के आधार पर)

दिनांक	माह	वर्ष	शब्दों में

7. दिनांक 01.01.2019 को आयु

वर्ष	माह	दिन

8. जन्म स्थान,

शहर/तहसील/जिला/राज्य				
----------------------	--	--	--	--

9. यदि आवेदक म.प्र. का निवासी है तो कितने वर्षों से निवास कर रहा है।
10. क्या आवेदक म.प्र. के लिए घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति का सदस्य है, यदि हां तो जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का नाम लिखें।

यहाँ 5X7 सेमी
आकार का स्वयं
का नवीनतम
कलर फोटो
चस्पा करें तथा
स्वहस्ताक्षरित
करें

11. आवेदक का –

(अ) वर्तमान डाक का पता

.....

.....

पिन कोड

(ब) स्थायी पता

.....

.....

पिन कोड

(स) मूल निवास स्थान

.....जिला.....

12. शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं का विवरण प्रमाण-पत्रों/अंक सूचियों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।

परीक्षा का स्तर	बोर्ड/वि.वि. का नाम	शैक्षणिक संस्था का नाम	अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष/दिनांक	पूर्णांक/प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी	अभिनियुक्तियाँ
हाईस्कूल/मेट्रिकुलेशन							
इंटरमीडिएट/हायर सेकण्डरी							
स्नातक							
एल.एल बी.							
अन्य							

यदि विश्वविद्यालय में अथवा मंडल में आपने प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया हो तो अभियुक्तियों के तहत जानकारी दें।

13. यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा अशासकीय पद पर सेवारत हैं या पहले सेवारत रहें हों तो आवेदन करने की तारीख तक सभी पदों का पूर्ण विवरण दें।

पद का नाम	कार्यालय/संस्था/फर्म आदि का नाम व पता	नियुक्ति		कुल मासिक वेतन मंहगाई भत्ते सहित
		कब से	कब तक	

14. यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो छूट का
आधार तथा विज्ञापन की संदर्भित कंडिका का
उल्लेख करें।
15. क्या आप भारत के नागरिक हैं ?
- 16 (अ) क्या आप विवाहित हैं ?
- (ब) यदि हाँ तो क्या आपकी एक से अधिक
जीवित पत्नियाँ अथवा पति हैं ?
- (स) क्या आपकी दो से अधिक जीवित संतान हैं ?
- (द) यदि हाँ तो अंतिम संतान के जन्म का दिनांक
- (ड) क्या अंतिम संतानें जुड़वा हैं ?
17. क्या आपको कभी शासकीय या अन्य सेवा से
बर्खास्त किया गया, हटाया गया या किसी
न्यायालय द्वारा अभियोजित (दंडित) किया गया
है, या आपके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित है,
यदि हां तो विवरण दें।
18. आपको किसी उच्च न्यायालय अथवा किसी प्राधिकरण
या संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी
परीक्षा/चयन से वंचित किया गया हो तो विवरण दें।
19. आप अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी जो
आपके चयन में सहायक हो, जैसे अभिरुचियों आदि
के संबंध में देना चाहें तो संक्षेप में अंकित करें।

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि जहाँ तक मेरा ज्ञान और विश्वास है, इस
जानकारी-पत्रक में मेरे द्वारा दी गई सभी प्रविष्टियाँ सही हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय

(परीक्षा सेल)

अनुप्रमाणन फार्म

चेतावनी :

1. अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अनर्हता मानी जाएगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन अधीन नियोजन के लिये अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा ।
2. यदि इस फार्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंद या गिरफ्तार किया जाता है अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बंदी बनाया जाता है अथवा उस पर जुर्माना किया जाता है या उसे दोषसिद्ध पाया जाता है, अथवा उसे विवर्जित किया जाता है या दोषमुक्त किया जाता है तो ब्यौरे, रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर और प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल को तत्काल सूचित करें अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है। अतः यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि वह उन मामलों के ब्यौरे प्रस्तुत करें, जिनमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था आदि भले ही मामले अंतिम रूप से प्रतिवेदित कर दिए गए हों (खात्मा), वापस ले लिये हों या उनमें अन्ततः दोषमुक्ति हो गयी हो या समझौता कर लिया गया हो ।
3. यदि यह तथ्य कि अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी दी गई है या यह कि कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी ।

1. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) तथा कुलनाम (सरनेम)
उपनाम, यदि कोई हो (यदि आपने किसी भी
अवस्था में अपने नाम या कुलनाम में कुछ जोड़ा
हो या हटाया हो तो कृपया उसका उल्लेख कीजिए)

2. वर्तमान पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला या
घर क्रमांक, गली (मार्ग) सड़क तथा नगर और
राज्य, जिसमें वह स्थित हो)

3.(क) घर का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना (क)
तथा जिला या घर क्रमांक, गली (मार्ग)
सड़क तथा नगर और जिला मुख्यालय का
नाम और राज्य, जिसमें वह स्थित हो)

.....

(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हों तो (ख)
उस देश में आपका पता तथा भारतीय संघ में
प्रवास की तारीख ।

4. निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे, जहाँ आप पिछले पाँच वर्षों के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों, यदि विदेश (जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है) में रहे हों तो उन सभी स्थानों के ब्यौरे दिए जाने चाहिए जहाँ आप 21 वर्ष की आयु के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों.

से	तक	निवास का पूरा पता (अर्थात् ग्राम थाना तथा जिला, अथवा घर क्रमांक, गली (मार्ग) सड़क तथा नगर और राज्य	पूर्ववर्ती खाने में उल्लिखित स्थान के जिला-मुख्यालय का तथा वह राज्य जिसमें वह स्थित हो.
(1)	(2)	(3)	(4)

5. पिता का –

(क)	पूरा नाम तथा उपनाम, यदि कोई हो(क)
(ख)	वर्तमान डाक-पता (यदि स्वर्गवास हो गया हो तो पिछला पता दीजिए)(ख)
(ग)	घर का स्थायी पता(ग)
(घ)	व्यवसाय(घ)
(ङ)	यदि किसी सेवा में हों तो उनका पदनाम तथा कार्यालय का पता दीजिए.(ङ)

6. (एक) नीचे उल्लिखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता –

(क)	पिता(क)
(ख)	माता(ख)
(ग)	पति/पत्नि(ग)
(घ)	उम्मीदवार(घ)
(दो)	पति/पत्नि का जन्म स्थान(दो)

7. (क) जन्म तारीख(क)
 (ख) वर्तमान आयु(ख)
 (ग) मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु(ग)

8. (क) जन्म स्थान, जिला तथा राज्य(क)
जिसमें वह स्थित हो.

(ख) वह जिला तथा राज्य जहां के आप(ख)
निवासी हैं.

9. (क) आपका धर्म(क)

(ख) क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति,.....(ख)
आदिम जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग(सम्पन्न वर्ग के बाहर) के सदस्य हैं ?
हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए और यदि आपका उत्तर
हाँ में हो तो उस जाति विशेष का नाम लिखिए.

10. (क) क्या आप विवाहित हैं ? (हाँ/नहीं)

(ख) यदि हाँ तो क्या आपकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ/पति हैं ?
(हाँ/नहीं)

11. (क) आपकी कुल संतानों की संख्या

(ख) 26-01-2001 के बाद पैदा हुई संतानों की संख्या

(ग) क्या अंतिम संतान का प्रसव जुड़वा जन्म है (हाँ/नहीं)

12. **शैक्षणिक अर्हताएँ :-**

वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए जहाँ आपने शालाओं और महाविद्यालयों में
15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो.

शाला/महाविद्यालय का नाम तथा पूरा पता	प्रवेश की तारीख/ वर्ष	शाला/महाविद्यालय छोड़ने की तारीख/वर्ष	उत्तीर्ण परीक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)

13. यदि आप कभी नियोजित रहे हों तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए :-

धारित पद का नाम या कार्य का स्वरूप	अवधि से तक	कार्यालय, फर्म अथवा संस्था का पूरा पता	पिछली सेवा छोड़ने के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)

14. (क) क्या आप कभी गिरफ्तार किये गये हैं ? क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है ? क्या आप कभी निरूद्ध किए गए हैं या आपसे मुचलका लिया गया है/आप पर जुर्माना किया गया है ? क्या आप किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय द्वारा, उनके द्वारा संचालित परीक्षाओं/किए जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है/उसके लिए अनर्ह ठहराया गया है या क्या आपको किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित/निष्काशित किया गया है ?

(ख) क्या इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है ? यदि (क) अथवा (ख) में पूछे गये प्रश्नों के संबंध में आपके उत्तर हाँ में हों तो आपको इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय मामले, गिरफ्तारी, निरोध, जुर्माना, दोषसिद्ध तथा दण्डादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए तथा इस फार्म को भरते समय न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बताना चाहिए। इस जानकारी के अतिरिक्त, जहाँ लागू हो वहाँ निम्नलिखित ब्यौरे भी दिए जाएंगे :-

(एक) अपराध/आरोप.

(दो) पुलिस थाने में पंजीयित.

(तीन) यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम.

(चार) मामले का क्रमांक, न्यायालय द्वारा उसका निपटारा किस तारीख को किया गया.

(पांच) दिया गया दण्ड

(छः) क्या दोषमुक्त किया गया ?

(सात) दोषमुक्ति संदेह के लाभ पर आधारित थी अथवा गुणदोषों पर अवलम्बित अथवा मामला वापस ले लिया गया था ?

(ग) क्या आप किसी ऐसे संगम या संगठन जो सरकार द्वारा विधि विरुद्ध घोषित किया गया था अथवा किया गया है, के सदस्य हैं, या उससे नियोजित रहे हैं ? यदि ऐसा हो, तो पूर्ण विशिष्टियां दें, जैसे संगम/संगठन का नाम, सदस्यता अथवा संबद्धता की कालावधि इत्यादि.

टिप्पणी :- (1) अभ्यर्थी इस अनुप्रमाणन फार्म के ऊपर दी गई चेतावनी नोट करें ।
 (2) अभ्यर्थी प्रत्येक कण्डिका में चाही गई जानकारी अनिवार्य रूप से भरें ।
 यदि चाही गई जानकारी अभ्यर्थी पर प्रयोज्य न हो, तो उस कण्डिका के समक्ष अप्रयोज्य अवश्य लेख करें ।

.....
 उम्मीदवार के हस्ताक्षर
 तारीखस्थान.....

15. आपके मोहल्ले के ऐसे दो उत्तरदायी (1)
 व्यक्तियों या दो निदेशियों (रेफरियों) के
 नाम पता सहित जो आपको जानते हों,

(2)

.....
 मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि पूर्ववर्ती जानकारी, जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मेरा विश्वास है, सही और पूर्ण है, मैं ऐसी किन्हीं भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ, जिसके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हों, मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपर्युक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जाए तो नियुक्ति प्राधिकारी को, बिना सूचना दिए या बिना कारण बताए मेरी सेवाएँ समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा.

.....
 उम्मीदवार के हस्ताक्षर
 तारीखस्थान.....

नोट :- आवेदक द्वारा पृथक से स्वयं का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाये कि आपराधिक प्रकरणों के संबंध में आवेदक द्वारा अनुप्रमाणन पत्र के अन्तर्गत दिये गये विवरण में किसी तथ्य को जान-बूझकर नहीं छिपाया गया है ।

पहचान प्रमाण-पत्र

(प्रमाण-पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी भी एक के हस्ताक्षर होने चाहिए)

- (एक) केन्द्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी.
- (दो) संसद या राज्य विधान-मंडल का सदस्य.
- (तीन) सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट / अधिकारी.
- (चार) तहसीलदार या नायब / उप तहसीलदार, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो.
- (पांच) शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा प्रमुख.
- (छः) खण्ड विकास अधिकारी.
- (सात) पोस्ट मास्टर.
- (आठ) पंचायत निरीक्षक.

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/श्रीमती/कुमारी
 पिता/पति का नाम श्रीको पिछलेवर्ष
माह से जानता/जानती हूँ तथा उनके द्वारा दिए गए ब्यौरे जहाँ तक मुझे पता
 है और जहाँ तक मेरा विश्वास है, सही हैं ।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख : पदनाम या स्थिति.....
 तथा पता

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम
- पदनाम और पूरा पता
- (दो) वह पद, जिसके लिए उम्मीदवार
- के संबंध में विचार किया जा रहा है

/////